न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/25/2021	2021/118	07.09.2021	09.05.2022

1. भगवती चन्द बैरवा पुत्र स्व0 श्री केदार प्रसाद, जाति चमार, निवासी ग्राम रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।
2. संतरा देवी बेवा केदार प्रसाद, जाति चमार, निवासी ग्राम रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।
3. महेशचन्द पुत्र स्व0 श्री केदार प्रसाद, जाति चमार, निवासी ग्राम रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।
4. सतीश पुत्र स्व0 श्री केदार प्रसाद, जाति चमार, निवासी ग्राम रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।
5. चेतराम पुत्र स्व0 श्री केदार प्रसाद, जाति चमार, निवासी ग्राम रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।
6. लाली पुत्री स्व0 श्री केदार प्रसाद, जाति चमार, निवासी ग्राम रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रैणी दिनांक 30.12.2014 नामान्तकरण संख्या 3191 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी।

उपस्थितः–

01. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा – वकील अपीलाण्ट
02. श्री मुकेश कुमार व्यास – वकील रेस्पोडेन्ट्स
03. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट सं0 01

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 30.12.2014 नामान्तकरण संख्या 3191 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी जिसके द्वारा नामान्तकरण विरासत का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

09.05.2022

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जरिये राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 लगायत 06 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2014 का है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं रही तथा जानकारी होने पर नकल विरासत इंतकाल आदेश दिनांक 30.12.2014 की दिनांक 15.07.2021 को प्राप्त की। इसके पश्चात अपीलान्ट द्वारा संबंधित अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर नाम दुरूस्ती कराने का निवेदन किया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। अपीलान्ट कानूनी अनभिज्ञता के कारण अदालत श्रीमान के समक्ष अपील नही ला सका। अब कानूनी सलाह मिलने पर बिना देरी के यह अपील श्रीमान के समक्ष पेश की है। दफा 05 कानूनी मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र विस्तृत विवरण सहित पृथक से पेश है।

मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम भगवती चन्द बैरवा पुत्र केदार प्रसाद है न कि भगोती पुत्री केदार प्रसाद। मिन अपीलान्ट मृतक केदार का पुत्र है न कि पुत्री। मिन अपीलान्ट के वास्तविक नाम की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, दसवीं की अंकतालिका की प्रति आदि संलग्न है। आराजी खसरा न0 679 रकबा 0.73 है0, 680 रकबा 0.67 है0 कुल किता 02 रकबा 1.40 है0 खाता संख्या 173 खसरा न0 1983 रकबा 0.49 है0, 1986 रकबा 1.25 है0, 1987 रकबा 0.50 है0, 1989 रकबा 0.23 है0 कुल किता 04 रकबा 2.47 है0 खाता संख्या 174 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी जिला अलवर में है। जिस आराजी में अपीलान्ट के पिता केदार प्रसाद पुत्र चन्दर जाति चमार, 1/6 भाग के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहें हैं। जिनका देहांत हो चुका है। जिनका विरासत इन्तकाल संख्या 3191, दिनांक 30.12.2014 को मृतक केदार प्रसाद के वारिसान के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा स्वीकृत किया गया। मृतक केदार प्रसाद के वारिसों में अपीलान्ट का नाम भी शामिल है। उक्त विरासत इंतकाल में अपीलान्ट को मृतक केदार प्रसाद का पुत्र सम्बोधित करने के बजाय पुत्री संबोधित करते हुए अपीलान्ट का भगोती पुत्री केदार प्रसाद दर्ज कर दिया गया है जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम भगवती चन्द बैरवा पुत्र केदार प्रसाद है। यही नाम अपीलान्ट विरासत के इंतकाल में दर्ज कराना चाहता है और पुत्री के स्थान पर पुत्र सम्बोधित कराना चाहता है। तहत अदालत तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2014 बाबत विरासत इंतकाल संख्या 3191 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी जिला अलवर अपीलान्ट के नाम संबंध की हद तक अपास्त करते हुए विरासत इंतकाल संख्या 3191 में अपीलान्ट का दर्ज नाम भगोती पुत्री केदार प्रसाद के स्थान पर भगवती चन्द बैरवा पुत्र केदार प्रसाद दर्ज करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावे। रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता 02 लगायत 06 द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार किए जाने के संबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई।

वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का

(हस्ताक्षर) 09/05/2022
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य आधार कार्ड, दसवीं की अंकतालिका एवं राशन कार्ड पेश किए हैं। उक्त सभी दस्तावेजों में अपीलान्ट का नाम भगवती चन्द पुत्र केदार प्रसाद अंकित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा दिनांक 30.12.2014 को नामान्तकरण संख्या 3191 स्वीकार करते समय सहवन से अपीलान्ट का नाम भगोती पुत्री केदार प्रसाद दर्ज कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार रैणी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2014 नामान्तकरण संख्या 3191 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार रैणी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के दस्तावेजी साक्ष्यों यथा आधार कार्ड, दसवीं की अंकतालिका एवं राशन कार्ड आदि की जांच कर एवं साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)